



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(भारत सरकार का उपक्रम)

केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर

जिला: श्रीगंगानगर, राजस्थान – 335702

सी.आई.एन: यू74899डीएल1963जीओआई003913

(आईएसओ 9001:2015 व 14001:2015 प्रमाणित कम्पनी)

(A Government of India Undertaking)

CENTRAL STATE FARM, JETSAR

Dist. Sriganganagar, Rajasthan-335702

CIN:U74899DL1963GOI 003913

(An ISO 9001:2015 & 14001:2015 Certified Company)



दूरभाष / Phone: 01498-61202,

वेबसाइट / Website: www.indiaseeds.com ईमेल / E-mail: csf.jetsar@indiaseeds.com



पत्रांक: के.रा.फा./जैत./कृषि/10-05/2024-25/

दिनांक: 01.04.2025

अल्पकालीन निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म जैतसर (राज0) में **रबी 2024-25** के दौरान की बीजाई की गई लगभग गेहूँ की 3.00 एकड़, जौ की 58.00 एकड़ एवं जई की 1093.50 एकड़ खड़ी फसल को फार्म के कम्बाइन से कटाई करने के उपरांत स्वयं के साधन से तुड़ी बनाने के दौरान निकलने वाला दाना फार्म साधन में लोड करना होगा तथा तुरंत सपूर्द करना होगा के कार्य हेतु इच्छुक ठेकेदारों से चकवार व फसलवार ई-निविदा दिनांक **07.04.2025** को दोपहर 02:30 तक आमंत्रित की जाती है। जो उसी दिन अपराह्न 3.00 बजे खोली जायेगी। उपरोक्त कार्य के लिए प्रति चक प्रति फसल के लिए अलग अलग धरोहर राशि 5000 रु (अखरे पाँच हजार रुपये मात्र) बैंक RTGS/NEFT के माध्यम से, जो कि नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड के (IFSC कोड नम्बर SBIN0008251, खाता संख्या: 4153 2435 884) में ऑनलाइन जमा कराई जा सकती है। निविदा प्रपत्र शुल्क अखरे रुपये 236.00 (फार्म फीस + 18 % GST) का RTGS/NEFT के माध्यम से फार्म के खाते में जमा करवाया जा सकता है। निविदा में भाग लेने हेतु निर्धारित की गई धरोहर राशि भारतीय स्टेट बैंक, बाजूवाला (खाता सं -4153 2435 884, IFSC कोड नम्बर SBIN0008251) पर देय हो, धरोहर राशि के रूप में जमा करना होगा। नियम एवम् शर्तों की जानकारी निगम की वेबसाइट www.indiaseeds.com पर देखी जा सकती है।

प्रभारी उत्पादन
कृते फार्म प्रमुख

**केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर
जिला गंगानगर (राज.)**

गेहूँ, जौ व जई (रबी 2024-25) की फसल की फार्म कम्बाइन से कटाई करने के उपरान्त तुड़ी स्वयं के साधन से बना कर ले जाने हेतु नियम व शर्तें:-

(अ) खड़ी फसल की फार्म कम्बाइन से कटाई करने के उपरान्त स्वयं के साधन से तुड़ी बनाने के कार्य करने के दौरान प्राप्त पैदावार को फार्म ट्राली में डालना एवं सुपुर्द करना होगा।

(ब) फसल कटाई के उपरान्त तुड़ी बनाने के कार्य करने के दौरान निकलने वाला दाना फार्म के सुपुर्द करना होगा।

सामान्य नियम व शर्तें:-

- 1- उपरोक्त कार्य के लिये प्रतिचक प्रतिफसल के लिये अलग अलग धरोहर राशि 5000.00 (अखरे पाँच रुपये मात्र) नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड, जैतसर के खाते (IFSC कोड नम्बर SBIN0008251, खाता संख्या: 4153 2435 884) में ऑनलाईन ट्रांसफर करवाई जा सकती है।
- 2- गेहूँ, जौ व जई की तुड़ी बनाने हेतु दरें प्रति एकड़ चकवार देनी होगी।
- 3- तुड़ी बनाने के दौरान निकलने वाला दाना फार्म को तुरंत सुपुर्द करना होगा।
- 4- यदि ठेकेदार फसल के ऐरिया की राशि जमा करने के आधार पर निविदा देता है तो कार्य आदेश जारी होने के 15 दिन के अन्दर स्वीकृत क्षेत्र की समस्त राशि जमा करवानी होगी। 15 दिवस के अन्दर राशि जमा नहीं होने पर स्वीकृत क्षेत्र का ठेका स्वतः ही रद्द हो जायेगा तथा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी, जिसकी अलग से कोई सूचना नहीं भेजी जायेगी।
- 5- यदि ठेकेदार फसल के ऐरिये की राशि जमा करने के आधार पर निविदा देता है एवं निविदा में स्वीकृत धनराशि को नियम व शर्त संख्या 4 के अनुसार जमा करवाने में किसी कारणवश देरी करता है तो अनावश्यक देरी की अनुमति फार्म प्रशासन द्वारा सामान्यतः नहीं दी जायेगी। तथापि क्रेता द्वारा उचित कारण पर अनुरोध करने पर अतिरिक्त समय सीमा फार्म प्राधिकारी द्वारा दी जा सकती है।
- 6- फसल कटाई होने के उपरान्त 15 दिन के अन्दर तुड़ी बनाकर, समस्त राशि नियम-शर्त संख्या-4 के अनुसार जमा होने पर उठाना होगा।
- 7- फसल कटाई होने के उपरान्त 15 दिन के अन्दर तुड़ी नहीं बनाने तथा उसको खेत से नहीं उठाने पर समस्त तुड़ी को नष्ट कर दिया जायेगा, जिसका ठेकेदार स्वयं जिम्मेवार होगा।
- 8- तुड़ी बनाने के दौरान यदि फार्म की सम्पत्ति को किसी भी प्रकार का नुकसान ठेकेदार एंवम उसके कामगारों द्वारा किया जाता है, तो उसकी भरपाई ठेकेदार से की जायेगी।
- 9- तुड़ी बनाने का कार्य खण्ड प्रभारी/चक प्रभारी के निर्देशानुसार करना होगा।
- 10- तुड़ी की सुपुर्दगी लेने के लिए चक प्रभारी से गेट पास लेना होगा।
- 11- निविदादाता ठेके की अवधि के दौरान शिकार करने की सख्त मनाही है। ऐसा करने पर ठेका रद्द करने के साथ-साथ कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी, जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेवार होगा।
- 12- तुड़ी बनाने के दौरान यदि प्राकृतिक आपदा से कोई नुकसान होता है तो फार्म की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।
- 13- ठेकेदार का पेन कार्ड आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। एवं ठेकेदार को पेन कार्ड तथा परिचय पत्र की छायाप्रति जमा करवानी होगी।

- 14- कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की जन-धन की हानि एवं दुर्घटना की वैधानिक व संपूर्ण जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी। फार्म का किसी भी प्रकार का कोई दायित्व नहीं होगा। ठेकेदार द्वारा लगाये गये श्रमिकों को देय मजदूरी, ई0पी0एफ0, दुर्घटना मुआवजा तथा समस्त वैधानिक देनदारी व दायित्व ठेकेदार की ही होगी।
- 15- 500 रुपये का स्टाम पेपर अनुबंध के लिए प्रस्तुत करना होगा।
- 16- ARBITRATION

In case any dispute arises between NSC and the other party due to any term or matter, both the parties will opt to resolve it through mutual understanding and discussion. In case, dispute remains even after discussion. Then it shall be binding upon parties to resolve issue under the provisions of Arbitration & Conciliation Act, 1996 as amended from time to time under this provision, the chairman-cum-Managing Director, National Seeds Corporation Limited with the concurrence of both the parties shall appoint sole Arbitrator to resolve the issue and both the parties will have to abide by decision. The parties will bind to resolve this dispute through arbitration before going to court of law. The arbitration shall be conducted at New Delhi and shall in English Language. The Court of Delhi shall have the Jurisdiction.

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदा प्रपत्र

खण्ड	फसल	जई	जौ	गेहूं	प्रस्तावित दर प्रति एकड़		
	चक	एरिया एकड़ में			फार्म के कम्बाइन से कटाई करने के उपरांत स्वयं के साधन से तुड़ी बनाने के दौरान निकलने वाला दाना फार्म साधन में लोड करना होगा तथा तुरंत सपूर्द करना। (दर प्रति एकड़)		
					जई	जौ	गेहूं
1	1 BGD-A	76.00		3.00			
	1 BGD-B	136.50					
	3 BGD	245.50					
	1 BGM	166.00	95.00				
Total		624.00	95.00	3.00			
2	2 MGM Pivot, 3 MGM Pivot	203.5					
Total		203.5	0	0			
3	1-5 MGM	115	50				
	IWM-I	81					
	9-10 SAD	70					
Total		266	50	0			

भवदीय,

दिनांक.....

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पिता का नाम.....

गाँव.....

पोस्ट.....

जिला.....

फोन न0.....